(84)

(191)

न्यायालय श्री मान सदस्य महोदय, [illegible]

सार्किट कोर्ट रीवा

R.5384-दो/16

त्रिभुवन प्रसाद पाण्डेय तनय स्व0 [illegible] कृषि
निवासी ग्राम डकवार तह0 हुजूर जिला रीवा म0प्र0 ---निगरानी कर्ता

बनाम

1–रामकृपाल कुशवाहा तनय श्री सुखलाल कुशवाहा उम्र 65 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम कुठुलिया तह0 हुजूर जिला रीवा म0प्र0

2– शासन म0प्र0 --- गैर निगरानीकर्ता गण

आवेदक अभिभाषक श्री रामउजागर सिंह तिवारी द्वारा पेश। 01-09-16

1-9-16

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्व निर्णय व आदेश न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तह0 हुजूर जिला रीवा के प्रकरण क0 5/अ12/13–14 निर्णय दिनांक 20–04–16

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी का संक्षिप्त तथ्य निम्न है :–

आराजी नं0 87 निगरानी कर्ता के पैतृक सम्पत्ति थी जिसमें निगरानी कर्ता के पिता व चाचा लोग जमीन के भूमि स्वामी मालिक थे जिसमें निगरानी कर्ता के चाचा श्यामलाल अपना 1/3 हिस्सा विवादित भूमि के अलावा जमीन गैर निगरानी कर्ता क0 1 को बिकी कर दिया था तब गैर निगरानी कर्ता क0 1 द्वारा उस जमीन पर कब्जा ना कर आराजी नं. 87 के 1/3 भाग पर कब्जा किया एवं सिविल न्यायालय में गलत चौहद्दी बता कर आराजी नं0 87 के 1/2 भाग की डिकी एक पक्षीय प्राप्त किया जिसमें निगरानी कर्ता उसमें पक्षकार नहीं था । एक पक्षीय डिकी के बाद चोरी चोरी तहसील से नामान्तरण कराया जिसका विरोध निगरानी कर्ता द्वारा किया गया एवं तहसीलदार महोदय, के आदेश पारित करने के बाद निगरानी कर्ता द्वारा श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, के न्यायालय में अपील प्रस्तुत किया जो आज भी लम्बित है। वहां से निगरानी कर्ता को स्थगन आदेश भी प्राप्त

त्रिभुवन प्रसाद पाण्डेय

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 5384–II/2016 जिला–रीवा

त्रिभुवन प्रसाद पाण्डेय/रामकृपाल कुशवाहा

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रामउजागर सिंह तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील हुजूर के प्रकरण क्रमांक 5/अ–12/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 20.04.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 11.06.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	